2021 का विधेयक संख्याक 56.

[दि जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन) अमेंडमेंट बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें ।

2016 का 2

धारा 2 का संशोधन ।

2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, —

(i) खंड (4) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (14) में,—

(क) उपखंड (ii) में, "कि उसने" शब्दों के पश्चात् "इस अधिनियम के उपबंधों का या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपखंड (vi) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(vi) जिसके माता-पिता नहीं है और कोई भी उसकी देखरेख और संरक्षण करने का इच्छुक नहीं है या जिसका परित्याग या अभ्यर्पण कर दिया गया है ; " ;

(ग) उपखंड (ix) में "सम्मिलित किए जाने की संभावना है" शब्दों के स्थान पर "सम्मिलित किया गया है या सम्मिलित किया जा रहा है या सम्मिलित किए जाने की संभावना है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (17) में "बाल गृह" शब्दों के स्थान पर "बालक देखरेख संस्था" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (26) में "करने का केन्द्र बिंदु हो" शब्दों के स्थान पर "करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) खंड (26) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(26क) "जिला मजिस्ट्रेट" के अंतर्गत जिले का अपर जिला मजिस्ट्रेट भी है ;' ;

(vi) खंड (46) में "जिसका भारसाधक व्यक्ति विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक या उल्लंघन करते पाए गए ऐसे बालकों को, बोर्ड या बालक न्यायालय, दोनों, के आदेश से जांच के दौरान या आदेश में यथाविनिर्दिष्ट अवधि और प्रयोजनों के लिए दोषी पाए जाने के पश्चात् सतत् पुनर्वास के दौरान अपनाने और उनकी देखरेख करने का इच्छुक है" शब्दों के स्थान पर "जो विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक या उल्लंघन करते पाए गए ऐसे बालकों को, बोर्ड या बालक न्यायालय, दोनों, के आदेश से जांच के दौरान या आदेश में यथाविनिर्दिष्ट अवधि और प्रयोजन के लिए दोषी पाए जाने के पश्चात् सतत् पुनर्वास के दौरान अपनाती है और उनकी देखरेख करती है" शब्द रखे जाएंगे ;

(vii) खंड (54) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'54 "घोर अपराध" के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन,— 1860 का 45

(क) तीन वर्ष से अधिक और सात वर्ष से अनधिक की अवधि के न्यूनतम कारावास के दंड का उपबंध है ; या

(ख) सात वर्ष से अधिक के अधिकतम कारावास का उपबंध है किंतु कोई न्यूनतम कारावास या सात वर्ष से कम के न्यूनतम कारावास का उपबंध नहीं है ;' ;

धारा 3 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, "बोर्ड और" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड, समिति या" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 4 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (7) के खंड (iii) में, "तीन-चौथाई से कम" शब्दों के स्थान पर "न्यूनतम तीन-चौथाई" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 8 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के खंड (ड) में, "ऐसे बालक को संप्रेक्षण गृह में स्थानांतरित किए जाने के तत्काल उपाय करना" शब्दों के स्थान पर "उस बालक को, यथास्थिति, संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान में स्थानांतरित किए जाने के तत्काल उपाय करना" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 12 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) में, "संरक्षण गृह" शब्द के स्थान पर ",यथास्थिति, संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 16 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) जिला मजिस्ट्रेट, जब कभी अपेक्षित हों, किसी बालक के सर्वोत्तम हित में, सभी पणधारियों से, जिसके अंतर्गत बोर्ड और समिति भी है, कोई जानकारी मांग सकेगा ।"।

धारा 18 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) में, "कोई जघन्य अपराध किया है" शब्दों के पश्चात् "या सोलह वर्ष से अधिक आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है और बोर्ड ने धारा 15 के अधीन प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात् मामले का निपटारा कर दिया है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 27 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 27 में,—

(i) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् : —

"(4) कोई व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह बाल मनोविज्ञान या मनोरोग विज्ञान या विधि या सामाजिक कार्य या सामाजिक विज्ञान या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास अथवा दिव्यांगजन बालकों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री धारण नहीं करता हो और जब तक ऐसा व्यक्ति बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण संबंधी कार्यकलापों में सात वर्ष से सक्रिय रूप से अंतर्वलित न हो या बाल मनोविज्ञान या मनोरोग या विधि या या सामाजिक कार्य या सामाजिक विज्ञान या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास अथवा दिव्यांगजन बालकों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री के साथ व्यवसायरत वृत्तिक न हो ।

(4क) कोई व्यक्ति समिति में सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि—

(i) उसका मानव अधिकारों या बालक अधिकारों के अतिक्रमण का भूतपूर्व रिकार्ड है ;

(ii) ऐसे अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, दोषसिद्ध किया गया है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराध के संबंध में पूर्ण माफी प्रदान नहीं की गई है ;

(iii) भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या द्वारा नियंत्रित किसी उपक्रम अथवा निगम की सेवा से हटाया गया या पदच्युत किया गया है ;

(iv) बालक दुरुपयोग या बालक श्रम के नियोजन या अनैतिक कृत्य या मानव अधिकारों के किसी अन्य अतिक्रमण अथवा अनैतिक कृत्यों में कभी लिप्त रहा है ; या

(v) जिले में बालक देखरेख संस्था के प्रबंधन का भाग है ।"।

(ii) उपधारा (7) के खंड (iii) में, "कम से कम" शब्दों के स्थान पर, "न्यूनतम" शब्द रखा जाएगा ;

(iii) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(8) समिति जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और जिला मजिस्ट्रेट समिति के कार्यकरण का तिमाही पुनर्विलोकन करेगा ।";

(iv) उपधारा (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(10) जिला मजिस्ट्रेट समिति के कार्यकरण से उद्भूत किसी शिकायत को सुनने के लिए शिकायत निवारण प्राधिकारी होगा और प्रभावित बालक या बालक से संबंधित कोई व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत फाइल कर सकेगा, जो समिति की कार्रवाई का संज्ञान लेगा और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् समुचित आदेश पारित करेगा ।"।

धारा 32 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट बालक से संबंधित सूचना, यथास्थिति, समिति या जिला बालक संरक्षण एकक अथवा बालक देखरेख संस्था द्वारा इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी ।"।

धारा 37 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) में, "बाल कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 38 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (5) में, "लंबित मामलों की संख्या के बारे में" शब्दों के पश्चात् "जिला मजिस्ट्रेट," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 40 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) समिति राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी रीति में जो

विहित की जाए प्रत्यावर्तन, मृत्यु और भाग जाने के संबंध में तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। " ।

धारा 41 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 41 में,—

(i) उपधारा (1) में "इस अधिनियम के आरंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपधारा (2) में "अवधारित" शब्द के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिशों पर विचार करने पश्चात अवधारित" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 54 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 54 में,—

(i) उपधारा (2) में "यथास्थिति, जिला बालक संरक्षण एकक या राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) में "जिला बालक संरक्षण एकक या राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 55 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (1) में, "राज्य सरकार" शब्द के पश्चात् "अथवा जिला मजिस्ट्रेट" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 56 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (5) में, "न्यायालय" शब्द के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट" शब्द रखा जाएगा।

धारा 58 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 58 में,—

(i) उपधारा (3) में "न्यायालय में" शब्दों के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (4) में "न्यायालय के आदेश" शब्दों के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए गए आदेश" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 59 का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 59 में,—

(i) उपधारा (7) में "न्यायालय में" शब्दों के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (8) में "न्यायालय के आदेश" शब्दों के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए गए आदेश" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 60 का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (1) में "न्यायालय" शब्द के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 61 का संशोधन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 61 में, —

(i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा अर्थात् :—

"दत्तकग्रहण कार्यवाहियों के निपटान लिए प्रक्रिया" ;

(ii) उपधारा (1) में "न्यायालय" शब्दों के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (2) में "न्यायालय" शब्दों के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 63 का

22. मूल अधिनियम की धारा 63 में "न्यायालय" शब्द के स्थान पर "जिला

संशोधन ।

मजिस्ट्रेट" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 64 का संशोधन ।

23. मूल अधिनियम की धारा 64 में "संबंधित न्यायालय" शब्दों के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 65 का संशोधन ।

24. मूल अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (4) में "न्यायालय" शब्द के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 74 का संशोधन ।

25. मूल अधिनियम की धारा 74 की उपधारा (2) में "ऐसे मामलों में प्रकटन नहीं करेगी जहां कि मामला" शब्दों के स्थान पर "लंबित मामलों में या ऐसे मामलों में प्रकटन नहीं करेगी जिनमें कि मामला" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 86 का प्रतिस्थापन ।

26. मूल अधिनियम की धारा 86 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

अपराधों की वर्गीकरण और अभिहित न्यायालय।

"86 (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सात वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, वहा ऐसा अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा ।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध ऐसे कारावास से दंडनीय है जिसकी अवधि तीन वर्ष और उससे अधिक किन्तु सात वर्ष से कम है, वहा ऐसा अपराध असंज्ञेय और अजमानतीय होगा।

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध तीन वर्ष से कम के कारावास या केवल जुर्माने से दंडनीय है, वहा ऐसा अपराध असंज्ञेय और जमानतीय होगा ।

(4) दंड़ प्रक्रिया संहिता, 1973 या बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 अथवा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन अपराध बालक न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे ।"। 1974 का 2 2006 का 4 2012 का 32

धारा 87 का संशोधन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 87 के स्पष्टीकरण, के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण—**इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "दुष्प्रेरण" का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय दंड़ संहिता, 1860 की धारा 107 में है।'। 1860 का 45

धारा 101 का संशोधन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 101 में,—

(i) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) ऐसे किसी बालक के संबंध में, जिसके बारे में अभिकथन है कि उसने ऐसा कोई अपराध किया है, जो ऐसे किसी बालक द्वारा, जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या जो 16 वर्ष अधिक आयु का है, किए गए जघन्य अपराध से भिन्न बोर्ड द्वारा किए गए दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी।" ।

(ii) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी,

अर्थात् :—

"(6) कोई व्यक्ति जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दत्तक ग्रहण के किसी आदेश से व्यथित है वह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा आदेश पारित किए जाने से तीस दिन के अवधि के भीतर प्रभागीय आयुक्त के समक्ष अपील कर सकेगा।

(7) उपधारा (6) के अधीन फाइल की गई प्रत्येक अपील यथासंभव शीघ्रता से विनिश्चित की जाएगी और उसे अपील फाइल किए जाने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर निपटाए जाने का प्रयास किया जाएगा :

परन्तु जहां कोई प्रभागीय आयुक्त नहीं है, वहा यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अधिसूचना द्वारा अपील का विनिश्चय करने के लिए प्रभागीय आयुक्त की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी को सशक्त कर सकेगी।" ।

धारा 110 का संशोधन ।

29. मूल अधिनियम की धारा 110 की उपधारा (2) में,—

(क) खंड (xiv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(xivक) धारा 27 की उपधारा (8) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्ररुप ;";

(ख) खंड (xxii) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(xxiiक) धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन प्रत्यावर्तन, मृत्यु और भाग जाने के संबंध में तिमाही रिपोर्ट का प्ररुप ;";

उद्देश्यों और कारणों का कथन

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (किशोर न्याय अधिनियम) विधि के उल्लंघन के लिए अधिकथित या उल्लंघन करते पाए जाने वाले बालकों और देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए व्यापक उपबंधों के साथ किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के निरसन द्वारा 15 जनवरी, 2016 से प्रवृत हुआ था । किशोर न्याय अधिनियम भारत के संविधान के अनुसरण में बनाया गया है, जो बालकों के लिए समान अधिकारों को आज्ञापक बनाता है और राज्य को अन्य बातों के साथ बालकों के संरक्षण के लिए उपयुक्त उपाय करने की आज्ञा भी देता है । अधिनियम, बालकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ अभिसमय, किशोर न्याय के प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक सहस्त्रादि नियम, 1985 (बीजिंग नियम), बालक संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तकग्रहण की बाबत सहयोग संबंधी हेग अभिसमय (1993) और अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय लिखतों के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत की प्रतिबद्धता को भी पूरा करता है ।

2. किशोर न्याय अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि दत्तकग्रहण, उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों के अनुसार अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के लिए कुटुंब के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विरचित किया जाएगा । किशोर न्याय अधिनियम की धारा 63 यह उपबंध करती है कि दत्तकग्रहण न्यायालय द्वारा दत्तकग्रहण आदेश जारी किए जाने पर अंतिम होता है । उक्त अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (2) यह भी उपबंध करती है कि न्यायालय द्वारा दत्तकग्रहण कार्यवाहियां आवेदन फाइल किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर निपटाई जाएगी । यह देखा गया था कि न्यायालय में दत्तकग्रहण के मामलों को निपटाने में अत्यधिक विलंब होता है । इसके अतिरिक्त, दत्तकग्रहण के मामले प्रकृति में अप्रतिकूल होते हैं और उन्हें सुअधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निपटाया जाना चाहिए । अतः दत्तकग्रहण प्रक्रिया जिले में जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर पूरी किए जाने का प्रस्ताव किया गया है ।

3. जिले में बतौर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट बालकों के पुनर्वास/पुनःएकीकरण के लिए आवश्यक सेवाओं को सुकर बनाने हेतु पणधारियों के मध्य प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त रूप से तैनात है । बालक संरक्षण और दत्तकग्रहण प्रक्रिया से व्यौहार करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को और सशक्त करके, इसका उद्देश्य बालकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों जिसके अंतर्गत दत्तकग्रहण भी है, के लिए जिला प्रशासन के समन्वित और प्रभावी प्रतिक्रिया को सुकर बनाना है ।

4. किशोर न्याय अधिनियम अपराध के 'छोटा', 'घोर' और 'जघन्य' प्रवर्गों से व्यौहार करता है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पा मित्तल बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (2020 की दांडिक अपील सं. 34) के मामले में उसके द्वारा तारीख 9 जनवरी, 2020 को दिए गए निर्णय में यह संप्रेषित किया है कि

किशोर न्याय अधिनियम अपराध के चौथे प्रवर्ग से व्यवहार नहीं करता है अर्थात् जहां अपराध के लिए अधिकतम दंडादेश सात वर्ष से अधिक का कारावास है किंतु न्यूनतम दंडादेश या सात वर्ष से अन्यून दंडादेश उपबंधित नहीं है और उसे अधिनियम के अधीन 'घोर अपराध' समझा गया है ।

5. तदनुसार, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 अन्य बातों के साथ प्रस्ताव करता है कि :—

(क) जिला मजिस्ट्रेट जिसके अंतर्गत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भी है, को किशोर न्याय अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी विभिन्न अभिकरणों के मध्य प्रभावी समन्वय और उनके कृत्यों की मानीटरी करने के लिए सशक्त करके जिला स्तर पर बालक संरक्षण को मजबूत करना;

(ख) जिला मजिस्ट्रेट जिसके अंतर्गत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भी है, दत्तकग्रहण में विलंब के मुद्दे को संबोधित करने के क्रम में और यह प्रस्तावित करने के लिए कि दत्तकग्रहण के आदेश से अपील प्रभागीय आयुक्त को की जा सकेगी, को दत्तकग्रहण के आदेश को प्राधिकृत करने के लिए सशक्त करना;

(ग) बालक कल्याण समिति को समिति के सदस्यों के लिए शैक्षिक अर्हताओं से संबंधित मुद्दों को समाविष्ट करके और उनके चयन के लिए पात्रता शर्तों का उपबंध करके मजबूत करना;

(घ) उन अपराधों को वर्गीकृत करना जिनमें अपराध के लिए अधिकतम दंडादेश सात वर्ष से अधिक का कारावास है किंतु किशोर न्याय अधिनियम के अधीन 'घोर अपराध' के रूप में कोई न्यूनतम दंडादेश या सात वर्ष से अन्यून न्यूनतम दंडादेश उपबंधित नहीं है; और

(ङ) किशोर न्याय अधिनियम के निर्वचन में कठिनाइयों को दूर करना ।

6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
9 मार्च, 2021

स्मृति ज़ूबिन इरानी

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 29 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 110 का संशोधन करने के लिए है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा—

(क) धारा 27 की उपधारा (8) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्ररूप; और

(ख) धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन प्रत्यावर्तन, मृत्यु और भाग जाने के संबंध में तिमाही रिपोर्ट के प्ररूप,

के लिए नियम बनाने का उपबंध करता है ।

2. वे विषय, जिनके संबंध में ऊपर उल्लिखित नियम बनाये जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और इस प्रकार प्रस्तावित विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम संख्यांक 2) से उद्धरण

* * * * *

2. इस अधिनियम मे, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं ।

* * * * *

(4) "प्रशासक" से राज्य के उपसचिव से अनिम्न पंक्ति का ऐसा कोई जिला पदाधिकारी अभिप्रेत है जिसे मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई है;

* * * * *

(14) "देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक" से ऐसा बालक अभिप्रेत है—

* * * * *

(ii) जिसके बारे मे यह पाया जाता है कि उसने तत्समय प्रवृत्त श्रम विधियों का उल्लंघन किया है या पथ पर भीख मांगते या वहां रहते पाया जाता है; या

* * * * *

(vi) जिसके माता-पिता नहीं है और कोई भी उसकी देखरेख करने का इच्छुक नहीं हैं या जिसके माता-पिता ने उसका परित्याग या अभ्यर्पण कर दिया है; या

* * * * *

(ix) जो असुरक्षित पाया गया है और उसे मादक द्रव्य दुरूपयोग या अवैध व्यापार में सम्मिलित किए जाने की संभावना है; या

* * * * *

(17) "बालक कल्याण अधिकारी" से, यथास्थिति, समिति या बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों का ऐसे उत्तरदायित्व से, जो विहित किया जाए, पालन करने के लिए बाल गृह से जुडा कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

* * * * *

(26) "जिला बालक संरक्षण एक" से किसी जिले के लिए धारा 106 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक बालक संरक्षण एकक अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के क्रियान्वयन को और जिले मे अन्य बालक संरक्षण उपायों को सुनिश्चित करने का केन्द्र बिन्दु हो;

* * * * *

(46) "सुरक्षित स्थान" से ऐसा कोई स्थान या ऐसी संस्था, जो पुलिस हवालात या जेल नहीं है, अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना पृथक रूप से की गई है या जो, यथास्थिति, किसी संप्रेक्षण गृह या किसी विशेष गृह से जुडी हुई है, जिसका भारसाधक व्यक्ति विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक या उल्लंघन

करते पाए गए ऐसे बालकों को, बोर्ड या बालक न्यायालय, दोनो, के आदेश से जांच के दौरान या आदेश में यथा विनिर्दिष्ट अवधि और प्रयोजन के लिए दोषी पाए जाने के पश्चात सतत् पुनर्वासन के दौरान अपनाने और उनकी देखरेख करने का इच्छुक है;

* * * * *

(54) "घोर अपराध" के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं, जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिकतम दंड तीन से सात वर्ष के बीच के कारावास का है; 1860 का 45

* * * * *

अध्याय 2

बालकों की देखरेख और संरक्षण के साधारण सिद्धांत

अधिनियम के प्रशासन में अनुसरित किए जाने वाले साधारण सिद्धांत ।

3. यथास्थिति, केन्द्रीय सरकारें, बोर्ड और अन्य अभिकरण इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करते समय निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होंगे, अर्थात:—

(i) **निर्दोषिता की उपधारणा का सिद्धांत :**किसी बालक के बारे में, अठारह वर्ष की आयु तक यह उपधारणा की जाएगी कि वह किसी असद् भावपूर्ण या आपराधिक आशय के दोषी नहीं है।

(ii) **गरिमा और योग्यता का सिद्धांत :**सभी मनुष्यों के साथ समान गरिमा और अधिकारों के साथ बर्ताव किया जाना चाहिए।

(iii) **भाग लेने का सिद्धांत :**प्रत्येक बालक को सुने जाने का और उसके हितों को प्रभावित करने वाली सभी आदेशिकाओं और विनिश्चयों मे भाग लेने का अधिकार प्राप्त है और बालक के दृष्टिकोण पर बालक की आयु और परिपक्वता को सम्यक् ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा ।

(iv) **सर्वोत्तम हित का सिद्धांत :**बालक के संबंध मे सभी विनिश्चय मुख्यतया इस विचारणा पर आधारित होंगे कि वे बालक के सर्वोत्तम हित में हैं और बालक के लिए अपनी पूर्ण शक्तता को को विकसित करने मे सहायक हैं ।

(v) **कौटुंबिक जिम्मेदारी का सिद्धांत :**बालक की देखरेख, उसका पोषण और उसको संरक्षण करने की प्राथमिक जिम्मेदारी जैविक कुटुंब या, यथास्थिति, दत्तक अथवा पालक माता-पिता की है ।

(vi) **सुरक्षा का सिद्धांत :**यह सुनिश्चित करने के लिए कि बालक सुरक्षित है और देखरेख तथा संरक्षण-पद्धति के संपर्क मे रहते हुए और उसके पश्चात् उसकी कोई अपहानि, उससे दुर्व्यहार या बुरा बर्ताव नहीं किया जाता है, सभी उपाय किए जाने चाहिए ।

(vii) **सकारात्मक उपाय :**सभी स्त्रोतों को, इसके अंतर्गत वे भी हैं जो कुटुंब और समुदाय के हैं, कल्याण की प्रोन्नति, पहचान के विकास को सुकर बनाने और बालकों की असुरक्षा को कम करने के लिए समावेशित और समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराने और इस अधिनियम के अधीन मध्यक्षेप की आवश्यकता के लिए

गतिमान किया जाना चाहिए ।

(viii) **गैर-कलंकीय शब्दार्थों का सिद्धांत** :किसी बालक से तात्पर्यित आदेशिकाओं में प्रतिकूल या अभियोगात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए ।

(ix) **अधिकारों का अधित्यजन न किए जाने का सिद्धांत** :बालक के किसी अधिकार का किसी भी प्रकार का अधित्यजन अनुज्ञेय या विधिमान्य नहीं है चाहे उसकी ईप्सा बालक द्वारा की गई हो या बालक की ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति या किसी बोर्ड या समिति द्वारा की गई हो और किसी मूल अधिकार का प्रयोग न किया जाना अधित्यजन की कोटि मे नहीं आएगा ।

(x) **समानता और विभेद न किए जाने का सिद्धांत** :किसी बालक के विरूद्ध किसी भी आधार पर, जिसके अंतर्गत लिंग, जाति, नस्ल, जन्म-स्थान, नि:शक्तता भी है, किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा और पहुंच, अवसर और बर्ताव में समानता प्रत्येक बालक को दी जाएगी ।

(xi) **एकांतता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत** :प्रत्येक बालक को सभी साधनों द्वारा और संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया मे अपनी एकांतता और गोपनीयता की संरक्षा करने का अधिकार प्राप्त होगा ।

(xii) **अंतिम अवलंब के उपाय के रूप मे संस्थात्मकता का सिद्धांत** :बालक को युक्तियुक्त जांच करने के पश्चात् अंतिम अवलंब के उपाय के रूप में संस्थागत देखरेख में रखा जाएगा ।

(xiii) **संप्रत्यावर्तन और प्रत्यावर्तन का सिद्धांत** :किशोर न्यायिक पद्धति में प्रत्येक बालक को शीघ्रातिशीघ्र अपने कुटुंब से पुन :मिलाने का और उसी सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रास्थिति में, जिसमें वह इस अधिनियम के क्षेत्राधीन आने के पूर्व रहता था, प्रत्यावर्तित होने का, जब तक कि ऐसा प्रत्यावर्तन और संप्रत्यावर्तन उसके सर्वोत्तम हित में हो, अधिकार प्राप्त होगा ।

(xiv) **नए सिरे से शुरूआत करने का सिद्धांत** :किशोर न्याय पद्धति के अधीन किसी बालक के पिछले सभी अभिलेख को, विशेष परिस्थितियों के सिवाय, समाप्त कर दिया जाना चाहिए ।

(xv) **अपयोजन का सिद्धांत** :विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से न्यायिक कार्यवाहियों का अपलंब लिए बिना, जब तक कि वह बालक या संपूर्ण समाज के सर्वोत्तम हित में न हो, निपटने के उपायों को बढावा दिया जाएगा ।

(xvi) **नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत** :इस अधिनियम के अधीन न्यायिक हैसियत में कार्य करते हुए सभी व्यक्तियों या निकायों द्वारा ऋजुता के बुनियादी प्रक्रियात्मक मानकों का, जिनके अंतर्गत निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, पक्षपात के विरूद्ध नियम और पुनर्विलोकन का अधिकार भी है, पालन किया जाना चाहिए ।

अध्याय 3

किशोर न्यायिक बोर्ड

किशोर न्यायिक बोर्ड ।

4. (1) * * * *

(7) बोर्ड के किसी सदस्य की, प्रधान मजिस्ट्रेट के सिवाय, नियुक्ति को राज्य सरकार द्वारा जांच करने के पश्चात् समाप्त किया जा सकता है, यदि वह सदस्य—

* * * * *

(iii) किसी वर्ष में तीन-चौथाई से कम बैठकों में भाग लेने मे असफल रहता है; या

* * * * *

बोर्ड की शक्तियां, कृत्य और उत्तरदायित्व ।

8. (1) * * * *

(3) बोर्ड के कृत्यों और उत्तरदायित्वों के अंतर्गत निम्नलिखित भी आएंगे—

* * * * *

(ङ) इस बात की जांच करने के लिए कि क्या वयस्कों के लिए बनी जेलों में कोई बालक डाला गया है, उन जेलों का नियमित निरीक्षण करना और ऐसे बालक को संप्रेक्षण गृह में स्थानांतरित किए जाने के तत्काल उपाय करना; और

* * * * *

ऐसे व्यक्ति की जमानत जो दृश्यमान रूप से विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित बालक है ।

12. (1) * * * *

(2) जब गिरफ्तार किए जाने पर ऐसे व्यक्ति को पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तब ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति को ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संरक्षण गृह में केवल तब तक के लिए रखवाएगा जब तक ऐसे व्यक्ति को बोर्ड के समक्ष न लाया जा सके ।

* * * * *

विधि का उल्लंघन करते पाए गए बालक के बारे में निदेश ।

18. (1) जहां बोर्ड का जांच करने पर यह समाधान हो जाता है कि बालक ने, आयु को विचार में लाए बिना कोई छोटा अपराध या कोई घोर अपराध किया है; या सोलह वर्ष से कम आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध् किया है तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी और अपराध की प्रकृति, पर्यवेक्षण या मध्यक्षेप की विशिष्ट आवश्यकता ऐसी परिस्थितियों, जो सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में बताई गई हैं, और बालक के पूर्व आचरण के आधार पर बोर्ड यदि ऐसा करना ठीक समझता है तो वह,—

(क) बालक को, समुचित जांच के पश्चात् और ऐसे बालक, तथा उसके माता-पिता या संरक्षक को परामर्श देने के पश्चात् उपदेश या भर्त्सना के पश्चात् घर जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ;

(ख) बालक को सामूहिक परामर्श और ऐसे ही क्रियाकलापों मे भाग लेने का निदेश दे सकेगा ;

(ग) बालक को किसी संगठन या संस्थान अथवा बोर्ड द्वारा पहचान किए गए विनिर्दिष्ट व्यक्ति, व्यक्तियों या व्यक्ति समूह के पर्यवेक्षणाधीन सामुदायिक सेवा करने का आदेश दे सकेगा ;

(घ) बालक या बालक के माता-पिता या संरक्षण को जुर्माने का संदाय करने का आदेश दे सकेगा ;

(ङ) बालक को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने और माता-पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखने का निदेश, ऐसे माता-पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति द्वारा बालक के सदाचार और उसकी भलाई के लिए बोर्ड की अपेक्षानुसार प्रतिभू सहित या रहित तीन वर्ष से अनधिक की कालवधि के लिए बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर, दे सकेगा ;

(च) बालक के सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने और बालक के सदाचार और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए किसी उचित सुविधा तंत्र की देखरेख और पर्यवेक्षण में रखने का निदेश तीन वर्ष से अनधिक की कालवधि के लिए दे सकेगा ;

(छ) बालक को तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, विशेष गृह में ठहरने की कालवधि के दौरान सुधारात्मक सेवाएं देने के लिए, जिनके अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श देना व्यवहार उपांतरण चिकित्सा और मनश्चिकित्सीय सहायता भी है, विशेष गृह में भेजने का निदेश दे सकेगा :

परंतु यदि बालक का आचरण और व्यवहार ऐसा हो गया है जो बालक के हित में या विशेष गृह में रहने वाले अन्य बालकों के हित में नहीं होगा तो बोर्ड, ऐसे बालक को सुरक्षित स्थान पर भेज सकेगा ।

* * * * *

अध्याय 5

बाल कल्याण समिति

27. (1) * * * * बाल कल्याण समिति ।

(4) किसी व्यक्ति को समिति के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा व्यक्ति कम से कम सात वर्ष तक बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण संबंधी कार्यकलापों में सक्रिय रूप से अंतर्वलित न हो या बाल मनोविज्ञान या मनोरोग विज्ञान या विधि या सामाजिक कार्य या समाज विज्ञान अथवा मानव विकास में डिग्री के साथ व्यवसायरत व्यवसायी न हो ।

* * * * *

(7) राज्य सरकार द्वारा समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति, जांच किए जाने के पश्चात् समाप्त कर दी जाएगी, यदि—

* * * * *

(iii) वह, किसी विधिमान्य कारण के बिना लगातार तीन मास तक, समिति की कार्यवाहियों में उपस्थित रहने में असफल रहता है या किसी वर्ष में कम से कम तीन चौथाई बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है ।

(8) जिला मजिस्ट्रेट, समिति के कार्यकरण का तिमाही पुनर्विलोकन करेगा ।

* * * * *

(10) जिला मजिस्ट्रेट, बाल कल्याण समिति का शिकायत निवारण प्राधिकारी होगा और बालक से संबंधित कोई व्यक्ति, जिला मजिस्ट्रेट को अर्जी फाईल कर सकेगा जो

उस पर विचार करेगा और समुचित आदेश पारित करेगा ।

* * * * *

संरक्षक से पृथक् पाए गए बालक के बारे में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करना ।

32. (1) * * * *

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी बालक के संबंध में इत्तिला अनिवार्य रूप से, ऐसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या समिति या जिला बालक संरक्षण एकक या बालक देखरेख संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

* * * * *

देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के बारे में पारित आदेश ।

37. (1) समिति, जांच द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि समिति के समक्ष लाए गए बालक को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, बालक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट पर विचार करके और यदि बालक विचार प्रकट करने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व है तो बालक की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित आदेशों में से एक या अधिक पारित कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) बालक को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता होने की घोषणा ;

(ख) माता-पिता या संरक्षक या कुटुंब को, बालक कल्याण अधिकारी या पदाभिहीत सामाजिक कार्यकर्ता के पर्यवेक्षण सहित या उसके बिना बालक का प्रत्यावर्तन ;

(ग) ऐसे बालक को रखने के लिए संस्था की क्षमता को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक या अस्थायी देखरेख के लिए दत्तकग्रहण के प्रयोजन के लिए या तो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् कि बालक के कुटुंब में बालक का प्रत्यावर्तन, बालक के सर्वोत्तम हित में नहीं है बाल गृह या उपयुक्त सुविधा तंत्र या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण में बालक का स्थानन ;

(घ) दीर्घकालिक या अस्थायी देखरेख के लिए योग्य व्यक्ति के पास बालक का स्थानन ;

(ड.) धारा 44 के अधीन पोषण देखरेख के आदेश ;

(च) धारा 45 के अधीन प्रवर्तकता के आदेश ;

(छ) ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं या सुविधा तंत्रों को, जिनकी देखरेख में बालक को, बालक की देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास के संबंध में रखा गया है, निदेश जिनके अन्तर्गत आवश्यकता आधारित परामर्श, व्यावसायिक चिकित्सा या व्यवहार उपांतरण चिकित्सा, कौशल प्रशिक्षण, विधिक सहायता, शैक्षणिक सेवाओं और यथा अपेक्षित अन्य विकासात्मक क्रियाकलापों और जिला बालक कल्याण एकक या राज्य सरकार और अन्य अभिकरणों के साथ अनुवर्तन और समन्वय सहित तत्काल आश्रय और सेवाओं से, जैसे कि चिकित्सा देखरेख, मनोविकार चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता संबंधी निदेश भी हैं ;

(ज) बालक की, धारा 39 के अधीन दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त होने की घोषणा ।

* * * * *

38. (1) * * * *

किसी बालक की दत्तकग्रहण के

(5) समिति, दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए गए बालकों की संख्या और विनिश्चायार्थ लंबित मामलों की संख्या के बारे में राज्य अभिकरण और प्राधिकरण को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रतिमास सूचित करेगी ।

लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया ।

* * * * *

41. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सभी ऐसी संस्थाओं को, चाहे वे राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हो या स्वैच्छिक अथवा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जा रही हों, जो पूर्णत :या भागत :देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों या विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को रखने के लिए आशयित हैं, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वे, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही हैं या नहीं, इस अधिनियम क अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्टर किया जाएगा :

बाल देखरेख संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण ।

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अधीन विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण रखने वाली संस्थाओं को, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा :

2000 का 56

(2) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण के समय राज्य सरकार, संस्था की क्षमता और प्रयोजन को अवधारित और अभिलिखित करेगी तथा संस्था को, यथास्थिति, किसी बाल-गृह या खुला आश्रय या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या संप्रेक्षण गृह या विशेष गृह या सुरक्षित स्थान के रूप में रजिस्ट्रीकृत करेगी ।

* * * * *

54. (1) * * * *

इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं का निरीक्षण ।

(2) ऐसी निरीक्षण समितियां, तीन सदस्यों से अन्यून के एक दल में, जिसमें कम से कम एक महिला होगी और एक चिकित्सा अधिकारी होगा, आबंटित क्षेत्रों में तीन मास मे कम से कम एक बार बालक रखने वाले सुविधा तंत्र का आज्ञापक रूप से निरीक्षण करेंगी और उनके निरीक्षण के एक सप्ताह के भीतर ऐसे निरीक्षण के निष्कर्षों की रिपोर्ट अग्रिम कार्रवाई के लिए, यथास्थिति, जिला बालक संरक्षण एकक या राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगी ।

(3) निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण के एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर जिला बालक संरक्षण एकक या राज्य सरकार द्वारा एक मास के भीतर समुचित कार्रवाई की जाएगी और राज्य सरकार को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।

संरचनाओं के कार्यकरण का मूल्यांकन ।

55. (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, ऐसी अवधि में और ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं के माध्यम से, जो उस सरकार द्वारा विहित किए जाएं, बोर्ड, समिति, विशेष किशोर पुलिस एकक, रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं या मान्यताप्राप्त उचित सुविधा तंत्रों और व्यक्तियों के कार्यकरण का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कर सकेगी ।

* * * * *

अध्याय 8

दत्तक ग्रहण

दत्तक ग्रहण ।

56. (1) * * * *

(5) कोई व्यक्ति, जो न्यायालय के विधिमान्य आदेश के बिना किसी बालक को किसी दूरे देश में ले जाता है या भेजता है या किसी दूसरे देश में अन्य व्यक्ति को किसी बालक की देखरेख और अभिरक्षा को अंतरित करने के किसी इंतजाम में भाग लेता है, धारा 80 के उपबंधों के अनुसार दंडनीय होगा ।

* * * * *

भारत में रहने वाले भावी भारतीय दत्तक माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया ।

58. (1) * * * *

(3) भावी दत्तक माता-पिता, से ऐसे माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा रिपोर्ट सहित बालक के प्रतिग्रहण पत्र की प्राप्ति पर, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण बालक को पूर्व-दत्तक ग्रहण पोषण देखरेख में देगा और दत्तक ग्रहण आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तकग्रहण विनियमों में यथा उपबंधित रीति में न्यायालय में आवेदन फाइल करेगा ।

(4) न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण उसे तुरन्त भावी दत्तक माता-पिता के पास भेजेगा ।

* * * * *

किसी अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक के अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया ।

59. (1) * * * *

(7) भावी दत्तक माता-पिता से बालक के प्रतिग्रहण पत्र की प्राप्ति पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण दत्तक ग्रहण आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्राधिकरण द्वारा विरचि दत्तक ग्रहण विनियमों मे यथा उपबंधित रीति में न्यायालय में आवेदन फाइल करेगा ।

(8) न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण उसे तुरंत प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और भावी दत्तक माता-पिता को भेज देगा और बालक के लिए पासपोर्ट अभिप्राप्त करेगा ।

* * * * *

अंतरदेशीय नातेदार दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया ।

60. (1) विदेश में रहने वाला कोई नातेदार, जो भारत में उसके नातेदार से किसी बालक के दत्तक ग्रहण का आशय रखता है, न्यायालय से आदेश अभिप्राप्त करेगा और प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा उपबंधित रीति में प्राधिकरण से निराक्षेप प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा ।

* * * * *

दत्तक ग्रहण के प्रतिफलस्वरूप संदाय के विरूद्ध न्यायालय की प्रक्रिया और शास्ति ।

61. (1) कोई दत्तक ग्रहण आदेश जारी करने से पहले न्यायालय अपना यह समाधान करेगा कि—

(क) दत्तक ग्रहण बालक के कल्याण के लिए है ;

(ख) बालक की आयु और समझ को ध्यान में रखते हुए बालक की इच्छाओं पर सम्यक् विचार किया गया है ; और

(ग) दत्तक ग्रहण फीस या सेवा प्रभार या बालक की समग्र देखरेख के मद्दे प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा अनुज्ञात के सिवाय, दत्तक ग्रहण के प्रतिफलस्वरूप कोई भी संदाय या पारिश्रमिक न तो भावी दत्तक माता-

पिता ने दिया है या देने के लिए सहमत हुए हैं, न ही विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या नातेदार दत्तक ग्रहण की दशा में बालक के माता-पिता या संरक्षक ने प्राप्त किया है या प्राप्त करने के लिए सहमत हुए हैं ।

(2) दत्तक ग्रहण कार्यवाहियां बंद कमरे में की जाएंगी और मामले को न्यायालय द्वारा उसके फाइल किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा ।

* * * * *

दत्तक ग्रहण का प्रभाव ।

63. उस तारीख से, जिसको दत्तक ग्रहण आदेश प्रभावी होता है, निर्वसीयतता सहित सभी प्रयोजनों के लिए ऐसा बालक, जिसके संबंध में न्यायालय द्वारा कोई दत्तक ग्रहण आदेश जारी किया गया है, दत्तक माता-पिता का बालक हो जाएगा और दत्तक माता-पिता बालक के इस प्रकार माता-पिता हो जाएंगे मानो दत्तक माता-पिता ने बालक को पैदा किया है और उस तारीख से ही बालक या बालिका के जन्म के कुटंब से बालक या बालिका के सभी संबंध समाप्त हो जाएंगे और उसके स्थान पर दत्तक ग्रहण आदेश द्वारा सृजित दत्तक कुटुंब में प्रतिस्थापित हो जाएंगे :

परंतु ऐसी कोई संपत्ति, जो उस तारीख से ठीक पूर्व, जिसको दत्तक ग्रहण आदेश प्रभावी होता है, दत्तक बालक में निहित हो गई उस संपत्ति के स्वामित्व से, संलग्न बाध्यताओं सहित, जिसके अंतर्गत जैव कुटुंब में नातेदारों का भरण-पोषण, यदि कोई हो, भी है, ऐसी बाध्यताओं के अध्यधीन बालक में निहित रहेंगी ।

दत्तक ग्रहण की रिपोर्ट ।

64. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि मे अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संबंधित न्यायालय द्वारा जारी किए गए सभी दत्तक ग्रहण आदेशों की बाबत सूचना प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा उपबंधित रीति में मासिक आधार पर प्राधिकरण को अग्रेषित की जाएगी, जिससे प्राधिकरण दत्तक ग्रहण के आंकड़े रखने के लिए समर्थ हो सके ।

विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण ।

65. (1) * * * *

(4) उस दशा में, जब कोई विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण, समिति से दत्तक ग्रहण के लिए किसी अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक को विधिक रूप से मुक्त कराने में या भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने में या नियत समय के भीतर न्यायालय से दत्तक ग्रहण आदेश प्राप्त करने में अपनी ओर से इस अधिनियम में या प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा उपबंधित आवश्यक कदम उठाने में व्यतिक्रम करता है तो ऐसा विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रूपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा और व्यतिक्रम की पुनरावृत्ति की दशा में राज्य सरकार विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण की मान्यता वापस ले लेगी ।

* * * * *

अध्याय 9

बालकों के विरूद्ध अन्य अपराध

बालक की पहचान के

74. (1) * * * *

(2) पुलिस, चरित्र प्रमाणपत्र के प्रयोजन के लिए या अन्यथा बालक के किसी

प्रकटन का प्रतिषेध ।

अभिलेख का, ऐसे मामलों मे प्रकटन नहीं करेगी जहां कि मामला बंद किया जा चुका हो या उसका निपटारा किया जा चुका हो ।

* * * * *

अपराधों का वर्गीकरण और अभिहित न्यायालय ।

86. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सात वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, वहां ऐसा अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और बालक न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा ।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध ऐसे कारावास से दंडनीय है जिसकी अवधि तीन वर्ष और उससे अधिक किंतु सात वर्ष से कम है, वहां ऐसा अपराध संज्ञेय, अजमानतीय होगा और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा ।

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध तीन वर्ष से कम अवधि के कारावास से या केवल जुर्माने से दंडनीय है, वहां ऐसा अपराध असंज्ञेय, जमानतीय और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा ।

दुष्प्रेरण ।

87. जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दुष्प्रेरण कृत्य कर दिया जाता है, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित होगा ।

स्पष्टीकरण—कोई कृत्य या अपराध, दुष्प्ररेण के परिणामस्वरूप किया गया तब माना जाएगा जब वह उकसाने के परिणामस्वरूप या षड्यंत्र के अनुसरण में या ऐसी सहायता से, जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है, किया जाता है ।

* * * * *

अपीलें ।

101. (1) * * * *

(3) (क) ऐसे किसी बालक के संबंध में, जिसके बारे में यह अभिकथन है कि उसने ऐसा कोई अपराध किया है, जो ऐसे किसी बालक द्वारा, जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है या जो सोलह वर्ष से अधिक आयु का है, किए गए जघन्य अपराध से भिन्न है, बोर्ड द्वारा किए गए दोषमुक्ति के आदेश; या

(ख) समिति द्वारा, इस निष्कर्ष के संबंध में कि वह व्यक्ति ऐसा बालक नहीं है जिसे देखरेख और संरक्षा की आवश्यकता हो, किए गए किसी आदेश,

के विरूद्ध अपील नहीं होगी ।

* * * * *

नियम बनाने की शक्ति ।

110. (1) * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी विषयों या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् —:

* * * * *

(xiv) धारा 27 की उपधारा (5) के अधीन बाल कल्याण समिति के सदस्यों की अर्हताएं ;

* * * * *

(xxii) धारा 38 की उपधारा (5) के अधीन समिति द्वारा राज्य अभिकरण और

प्राधिकरण को विधिक रूप से दत्तक ग्रहण करने के लिए मुक्त घोषित बालकों की संख्या और लंबित मामलों की संख्या के संबंध में प्रत्येक मास दी जाने वाली सूचना ;

* * * * *